


:: आदेश ::

प्रधान कार्यालय आदेशांक 60476/स्थापना/2014-15 दिनांक: 30.10.2014 में आवर्तक एवं अनावर्तक बजट देयों की स्वीकृति हेतु प्रदत्त अधिकारों में निम्नवत् आंशिक संशोधन किया जाता है—

“ निर्धारित बजट सीमा के अन्तर्गत प्रशिक्षण केन्द्र के समस्त आवर्तक व्ययों की स्वीकृति एवं भुगतान हेतु प्राचार्य, प्रशिक्षण केन्द्र को अधिकृत किया जाता है। अनावर्तक व्ययों का भुगतान प्रबन्ध निदेशक की पूर्व की स्वीकृति के उपरान्त प्राचार्य, प्रशिक्षण केन्द्र द्वारा किया जायेगा। ”

शेष निर्देश पूर्ववत् रहेंगे।


(के० पी० सिंह)
प्रबन्ध निदेशक


उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि०, प्रधान कार्यालय, लखनऊ।

आदेशांक: 16761 /स्थापना/2017-18

दिनांक: 09.11.2017

प्रतिलिपि: निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. समस्त शाखा प्रबन्धक, उ०प्र० सहकारी ग्राम विकास बैंक लि०, उ०प्र०।
2. समस्त अधिकारीगण, उ०प्र० सहकारी ग्राम विकास बैंक लि०, प्रधान कार्यालय, लखनऊ।
3. उप महा प्रबन्धक(कम्प्यूटर), को उक्त पत्र ई-मेल पर अपलोड करने हेतु।


09.11.17
(आर० बी० गुप्ता)
मुख्य महाप्रबन्धक(प्रशासन)